न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 62/2020 Gems No. 2020/00153
दायरा तिथि : 06.11.2020
प्राथमिक डिक्री दिनांक: 28.07.2021 **फाईनल डिक्री दिनांक** 02-08-2022
वादीगण :–

1. श्रीमति जतनोदेवी धर्मपत्नि हंसारामजी जाति सीरवी
   निवासी माताजी वाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
2. श्रीमति मोहिनीदेवी धर्मपत्नि भंवरलालजी जाति माली
   निवासी लालराई तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मानु खान पुत्र मिश्रु खानजी
2. हनीफ खान पुत्र मिश्रु खानजी तमाम जाति मुसलमान
   निवासी लालराई तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
3. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थितिः–

1. श्री अमृत परिहार .... अभिभाषक वादीगण की ओर से से
2. प्रतिवादी संख्या...01 व 02 अनुपस्थित।
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार........ पैरोकार सरकार की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांक : 02-08-2022

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने ग्राम लालराई पटवार हल्का सेसली तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 462 रकबा 2.13 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल वार्षिक लगान 10.65 रूपये के संबध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया। अपने वादपत्र में वादीगण का वादग्रस्त कृषि में संयुक्त 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 क्रमशः 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा निहित होना बताया। वादीगण ने उक्त 1/3 हिस्सा पुर्व खातेदार रसूल खान से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 03.03.2017 के खरीद करना बताया तथा इसी अनुसार संयुक्त कब्जा काश्त होना बताया। वादीगण ने वाद के माध्यम से संयुक्त सह खातेदारी की भूमि का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 की प्रमाणित प्रति पेश की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 बावजुद सम्मन तामील के वकालतन/असालतन न्यायालय में नियत पेशीयो पर उपस्थित नही होने से दिनांक 22.02.2021 को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये तथा पत्रावली को प्रतिवादी संख्या 03 पेरोकार सरकार के जबाव के लिये रखा गया। पेरोकार सरकार को जवाबदावा प्रस्तुती के लिये पर्याप्त समय अवसर के बावजुद जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने तथा प्रतिवादी संख्या–03 तहसीलदार,बाली विभाजन के उक्त वाद में फोरमल पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं होने से इनका जवाब अवसर भी दिनांक 29.07.2021 को बंद करते हुये प्रकरण में वकील वादी श्री अमृत परिहार को सुनने के पश्चात् रेकर्ड में दर्ज वादी एवं प्रतिवादी के हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.07.2021 को जारी की गई।

न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा वादग्रस्त भूमि का विभाजन करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक/भू0अ0/2022/541 दिनांक 23.05.2022 से निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव/रिपोर्ट प्रस्तुत कीः–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
जतनोदेवी पत्नि हंसाराम सिरवी सा. माताजी वाडा 1/2 मोहनीदेवी पत्नि भंवरलाल माली सा. देह खातेदार 1/2	462	0.71	बारानी दोयम	3.55	हरा रंग
मानु खां पुत्र मिसरू खां जाति मुसलमान सा. देह	462/1	0.71	बारानी दोयम	3.55	लाल रंग
हनीफ खां पुत्र मिसरू खां जाति मुसलमान सा. देह खातेदार रहन– RMGB शाखा बाली	462/2	0.71	बारानी दोयम	3.55	काला रंग

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील वादी श्री अमृत परिहार ने उपस्थित होकर तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की दलील दी।

पेज लगातार.............02

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 62/2020 Gcms No. 2020/00153

अनवान श्रीमति जतनोदवी वगैरा बनाम मानु खॉं वगैरा

<u>अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन से वकील वादी सहमत है। जिससे पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम लालराई पटवार हल्का सेसली तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 462 रकबा 2.13 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल वार्षिक लगान 10.65 रूपये के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 02 के मध्य निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती हैः–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
जतनोदेवी पत्नि हंसाराम सिरवी सा. माताजी वाडा 1/2 मोहनीदेवी पत्नि भंवरलाल माली सा. देह खातेदार 1/2	462	0.71	बारानी दोयम	3.55	हरा रंग
मानु खां पुत्र मिसरू खां जाति मुसलमान सा. देह	462/1	0.71	बारानी दोयम	3.55	लाल रंग
हनीफ खां पुत्र मिसरू खां जाति मुसलमान सा. देह खातेदार रहन– RMGB शाखा बाली	462/2	0.71	बारानी दोयम	3.55	काला रंग

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 10.65 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय नो.ज्यू. स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सेसली को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 02-08-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.

वादीगण :–

1. श्रीमति जतनोदेवी धर्मपत्नि हंसारामजी जाति सीरवी
   निवासी माताजी वाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
2. श्रीमति मोहिनीदेवी धर्मपत्नि भंवरलालजी जाति माली
   निवासी लालराई तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मानु खान पुत्र मिश्रु खानजी
2. हनीफ खान पुत्र मिश्रु खानजी तमाम जाति मुसलमान
   निवासी लालराई तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
3. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 62/2020 Gems No. 2020/00153
वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम लालराई पटवार हल्का सेसली तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 462 रकबा 2.13 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल वार्षिक लगान 10.65 रूपये के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 02 के मध्य निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
जतनोदेवी पत्नि हंसाराम सिरवी सा. माताजी वाडा 1/2 मोहनीदेवी पत्नि भंवरलाल माली सा. देह खातेदार 1/2	462	0.71	बारानी दोयम	3.55	हरा रंग
मानु खां पुत्र मिसरू खां जाति मुसलमान सा. देह	462/1	0.71	बारानी दोयम	3.55	लाल रंग
हनीफ खां पुत्र मिसरू खां जाति मुसलमान सा. देह खातेदार रहन– RMGB शाखा बाली	462/2	0.71	बारानी दोयम	3.55	काला रंग

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 10.65 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय नो.ज्यू. स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सेसली को लिखा जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02-08-22को जारी किया गया।

मोहर

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना,)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner